



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225980  
CG-DL-E-18032021-225980

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1157]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

No. 1157]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

**का.आ.1249(अ).**—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, महाराष्ट्र राज्य में मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड की दहेज़ - नागोथेन ईथेन पाइपलाइन के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री अरुण पी. विधाले, आई ए एस, (सेवानिवृत्त), मुंबई, महाराष्ट्र को सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. महाराष्ट्र राज्य में मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड के लिए दिनांक 14.04.2015 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 07.04.2015 की सां.आ. 1004(अ) द्वारा पूर्व अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी, डिप्टी कलेक्टर (सूर्या परियोजना), दहानू, जिला पालघर, महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा दिनांक 24.10.2016 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 20.10.2016 की सां.आ. 3267(अ) द्वारा पूर्व अधिसूचित सक्षम प्राधिकारियों, उप मंडल अधिकारी, कल्याण, उप मंडल अधिकारी, भिवंडी, उप मंडल अधिकारी, पेण, उप मंडल अधिकारी, उल्हासनगर एवं उप मंडल अधिकारी, कर्जत, महाराष्ट्र राज्य सरकार को निरस्त किया जाता है।

3. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/34/2014-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2021

**S.O.1249(E).**—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Arun P. Vidhale, IAS (Retired), Mumbai, Maharashtra, to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Dahej–Nagothane Ethane Pipeline of M/s. Reliance Ethane Pipeline Limited in the State of Maharashtra.

2. Earlier notified Competent Authority for M/s. Reliance Gas Pipelines Limited in the State of Maharashtra, Deputy Collector (Surya Project), Dahanu, District Palghar, Government of Maharashtra *vide* S.O. 1004 dated 07.04.2015 published in the Extraordinary Gazette of India dated 14.04.2015 and Competent Authority(s), Sub Divisional Officer, Kalyan, Sub Divisional Officer, Bhiwandi, Sub Divisional Officer, Pen, Sub Divisional Officer, Ulhasnagar, and Sub Divisional Officer, Karjat, Government of Maharashtra *vide* S.O. 3267 dated 20.10.2016 published in the Extraordinary Gazette of India dated 24.10.2016 stands de-notified.

3. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/34/2014-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.